



कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी
जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद
जिला - महासमुंद (छ.ग.)



क्रमांक-औप्रसं0/महा0/स्थाप/मे.प्र./2026/
प्रति,

पता:- बीज निगम के पास, लभराखुर्द, 493445 E-mail -ltimhd@rediffmail.com

५२७

/महासमुंद, दिनांक 10/06/2026

// विज्ञप्ति //

संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर क्षेत्र, रायपुर के आदेश के अनुशरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद, जिला महासमुंद में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पद के रिक्त पद विरूद्ध व्यवसाय-सर्वेयर के लिए प्रशिक्षण सत्र 2026-2027 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लभराखुर्द महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.), पिन 493445 के पते पर केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 12.06.2026 दिन शुक्रवार से 18.06.2026 दिन गुरुवार अपरान्ह 05.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त/जमा आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों की जानकारी, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड, नियम एवं शर्तों की जानकारी एवं आवेदन पत्र की प्रारूप महासमुंद जिले के वेबसाईट <https://mahasamund.nic.in/> या <https://mahasamund.gov.in/> पर एवं जिले में संचालित समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के सूचना पटल पर देख सकते हैं।

1. रिक्त पदों की जानकारी :-

स. क्रं.	आवेदित संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम	रिक्त पदों की संख्या
01	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	सर्वेयर	01

(घनश्याम साहू)

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद
जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
01	सर्वेयर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण

1. अंको का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-


1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।
2. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जायेगी।
3. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।

3. नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद जिला-महासमुंद छ.ग. से प्राप्त किया जा सकता है या महासमुंद जिले के वेबसाइट <https://mahasamund.nic.in/> या <https://mahasamund.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ स्पष्ट एवं बिना कांट-छाट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद, जिला-महासमुंद छ.ग. 493445 (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, पिन कोड सहित) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जाना है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जावबदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।
4. पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
5. वांछित प्रमाण-पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित नियत तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदनों के नियत तिथि एवं समय के पश्चात्/विलंब से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं ऐसे आवेदन स्वमेव ही निरस्त माने जायेंगे।
6. अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है, वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
7. आवेदन पत्र में केवल स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करें।

Behm

8. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में एकवर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी।
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जायेगा। अनुभव आवश्यक नहीं है। चयन सूची नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
10. चयनित आवेदकों के पद के विरुद्ध शासन/विभाग द्वारा नियमित/स्थानांतरित/सविदा नियुक्ति की जाती है तो मेहमान प्रवक्ता की सेवायें स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी।
11. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर छत्तीसगढ़ निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रतिघंटे 140/- की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम 05 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15000/- (पंद्रह हजार) रूपये मानदेय होगा। जोकि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
12. चयनित आवेदक को सूचना प्राप्त होने के 05 कार्य दिवस में संबंधित संस्था में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। 05 कार्य दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर आमंत्रण अस्वीकार मानते हुए अगले आवेदक को आमंत्रित किया जायेगा।
13. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेरिट सूचियों का अनुमोदन पश्चात् ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। उन्हे किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी/दिया नहीं जायेगा।
14. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित आवेदक को दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना दूरभाष/मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट अंकित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
15. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र 2026-27 हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
16. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उन्हे प्रशिक्षण कार्य में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जायेगा।
17. किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर क्षेत्र, रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।



(घनश्याम साहू)

प्राचार्य/नोडल अधिकारी

जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद

जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

01. आवेदित संस्था का नाम :- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद, जिला महासमुंद (छग.)
(जिस संस्था के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है)
02. आवेदित व्यवसाय नाम :- सर्वेयर
(जिस व्यवसाय के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है)

स्वप्रमाणित फोटो
चसुया करें

प्रति,

प्राचार्य, (नोडल अधिकारी)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद
जिला-महासमुंद (छत्तीसगढ़)
पिन कोड - 493445

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. माता का नाम
4. जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में)
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता
6. दूरभाष/मोबाईल नंबर
7. स्थायी पता
8. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी (हैं/नहीं)
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हैं/नहीं)
(यदि हैं तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

10. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का विवरण

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

टीप :- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

//शपथ पत्र//

- उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है एवं मैं सहमत हूँ कि
1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किये गये एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
 2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है। यदि जानकारी/अथवा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते हैं, तो किये गये समस्त कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
 3. मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र के लिए रहेगा तथा मैं कर्मी नियमित/संविदा पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
 4. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने पर मेरी सेवायें (मेहमान प्रवक्ता) स्वतः समाप्त हो जावेगी।
 5. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी। कोई अनुशासनहीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेंगे।
 6. मेरा/मेरी एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाने के उपरांत दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिए चयन स्वयंमेव निरस्त हो जायेगा।

संलग्न :-

- 01..... 06.....
02..... 07.....
03..... 08.....
04..... 09.....
05..... 10.....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाईल नम्बर

